कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार पटना

संख्या: प्रशासन-I(ले०प०)/Leave/C-84 1 दिनांक: 06.06.2022

कार्यालय आदेश

विषय: छुट्टी के दौरान विदेश जाने हेतु मुख्यालय छोड़ने के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जो निजी दौरे पर विदेश जाने के लिए छुट्टी का आवेदन करता है, उसे ऐसे दौरे के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अलग से लेनी आवश्यक होती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन संख्या F.No. 11013/8/2015-Estt.A-III दिनांक 27.07.2015 को ध्यान में रखते हुए यह पुनः दोहराया जाता है कि **इस कार्यालय के वैसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें निजी दौरे पर विदेश जाना हो वे इसके लिए अलग से पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे।**

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेश दौरे के सम्बन्ध में पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु पूरी तरह से भरा हुआ प्रोफोर्मा यात्रा शुरू होने से कम से कम इक्कीस (21) दिन पहले इस कार्यालय में समर्पित कर दिया जाये।

उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन नहीं होने पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के उपयुक्त प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(प्राधिकार: उप महालेखाकार (प्रशासन) का आदेश दिनांक 04.06.2022)

Sd/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना।
2. सभी स्कन्ध अधिकारीगण (लेखापरीक्षा) का सचिवालय।
3. सभी नियंत्री अधिकारी।
4. वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/AMS को इस अनुरोध से कि आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।
5. सूचना पट्ट।

06/06/22

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)